कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र ,मीरजापुर

पत्रांकःसा0– 3745/ मी0क्षे0 / 33 / दिनांक,मीरजापुर, 05,03, 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विषयः– जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 आरक्षित वन भूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में ।

संदर्भः– 1–अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्रांक– पी0 26 / 81–2–2021–79 / 1991 लखनऊ दिनांक– 22.02.2021

2–मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या– 2128 / 11–सी– FP/UP/MIN/29061/2017 लखनऊ दिनांक– 23.02.2021

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में अनु सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखनऊ के संदर्भित पत्र दि0 22.02.2021 द्वारा मॉगी गयी वांछित सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्र सं0 2935 / रेनुकूट / 15–38, दिनांक 01.03.2021 **(छाया प्रति संलग्न है)** द्वारा संस्तुति सहित निम्न प्रकार प्रेषित किया है।

क्र0 सं0	अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्रांक–पी0 26 / 81–2–2021–79 / 1991 लखनऊ दिनांक–22.02.2021 में अंकित बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	भारत सरकार द्वारा की गई आपत्ति के बिन्दु संख्या–1 के अनुपालन में आपकी स्पष्ट आख्या /संस्तुति प्राप्त नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रभावित वन भूमि के नवीनीकरण हेतु पूर्व में भी संस्तुति सहित रिपोर्ट प्रेषित की गयी है तथा पुनः संस्तुती की जाती है ।
2	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत भूमि से इतर वन भूमि को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के आधार पर नियमानुसार अन्य एजेंसियों को दिये जाने हेतु विधिमान्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वन भूमि से इतर वन भूमि को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानो के विपरीत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन्य एजेंसियो को दिये जाने के विरूद्ध उल्लंधन का प्रकरण प्रभाग के पत्र संख्या– 4704 / रेनुकूट / 12 बैठक दिनांक– 10.06.2013 द्वारा वन संरक्षक, विन्ध्य वृत्त, मीरजापुर को संदर्भित किया गया जिसे मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ने भी अपने कार्यालय के पत्र संख्या– 6473 / मीरजापुर / 33

		दिनांक– 29.06.2013 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को संदर्भित किया गया । मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा भी अपने कार्यालय के पत्र संख्या– 1571/11–सी–उल्लंधन दिनांक– 30.01.2014 व पत्र संख्या– 419/11–सी दिनांक– 20.08. 2015 द्वारा प्रमुख सचिव(वन) उ0प्र0 शासन वन अनुभाग–2 लखनऊ को संदर्भित किया गया है तथा प्रभाग में उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर प्रकरण उ0प्र0 शासन स्तर पर विचाराधीन है । इस बिन्दु के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही उ0प्र0 शासन स्तर से लिया जाना अपेक्षित है ।
3	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है, जिसके आलोक में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर व प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट की स्पष्ट संस्तुति/आख्या प्रस्तुत नहीं की गई है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि, भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 वन भूमि से **बिल्कुल अलग 18.2608 एकड़ वन भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानो का उल्लंधन करते हुए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विभिन्न एजेंसियो को लीज पर हस्तान्तरित की गयी जिसका प्रकरण बिन्दु संख्या–2 के अनुसार उ0प्र0 शासन स्तर पर विचाराधीन है** । उक्त उल्लंधन के जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु संस्तुति की जाती है ।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत के सम्बन्ध में प्रेषित उपरोक्त बिन्दु की आख्या संलग्न कर संस्तुति सहित अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

संख्या 3794 अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट
सोनभद्र– (उ0प्र0)

☎05446–252020 PIN Code: 231217 Email:dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 2935/रेनुकूट/ 15– 38 दिनांक, रेनुकूट, 01–03–, 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 आरक्षित वन भूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में ।

संदर्भः– 1–अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्रांक– पी0 26/81–2–2021–79/1991 लखनऊ दिनांक– 22.02.2021
2–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या– 2128/11–सी– FP/UP/MIN/29061/2017 लखनऊ दिनांक– 23.02.2021

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करें । उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र दिनांक–22.02.2021 द्वारा मॉगी गयी वांछित सूचना टेबुलर फार्म में निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क्र0 सं0	अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्रांक–पी0 26/81–2–2021–79/1991 लखनऊ दिनांक–22.02.2021 में अंकित बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	भारत सरकार द्वारा की गई आपत्ति के बिन्दु संख्या–1 के अनुपालन में आपकी स्पष्ट आख्या /संस्तुति प्राप्त नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रभावित वन भूमि के नवीनीकरण हेतु प्रभाग द्वारा पूर्व में भी संस्तुति सहित रिपोर्ट उच्च स्तर पर प्रेषित की गयी है तथा पुनः संस्तुती की जाती है ।।
2	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत भूमि से इतर वन भूमि को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के आधार पर नियमानुसार अन्य एजेंसियों को दिये जाने हेतु विधिमान्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वन भूमि से इतर वन भूमि को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानो के विपरीत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन्य एजेंसियो को दिये जाने के विरूद्ध उल्लंधन का प्रकरण प्रभाग के पत्र संख्या– 4704/रेनुकूट/12 बैठक दिनांक– 10.06.2013 द्वारा वन संरक्षक, विन्ध्य वृत्त, मीरजापुर को संदर्भित किया गया जिसे मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ने भी अपने कार्यालय के पत्र संख्या– 6473/मीरजापुर/33 दिनांक– 29.06.2013 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को संदर्भित किया गया । मुख्य

		वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा भी अपने कार्यालय के पत्र संख्या– 1571/11–सी–उल्लंघन दिनांक– 30.01.2014 व पत्र संख्या– 419/11–सी दिनांक– 20.08. 2015 द्वारा प्रमुख सचिव(वन) उ0प्र0 शासन वन अनुभाग–2 लखनऊ को संदर्भित किया गया है तथा प्रभाग में उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर प्रकरण उ0प्र0 शासन स्तर पर विचाराधीन है । इस बिन्दु के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही उ0प्र0 शासन स्तर से लिया जाना अपेक्षित है ।
3	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है, जिसके आलोक में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर व प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट की स्पष्ट संस्तुति/आख्या प्रस्तुत नहीं की गई है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि, भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 वन भूमि से **बिल्कुल अलग 18.2608 एकड़ वन भूमि. पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानो का उल्लंघन करते हुए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विभिन्न एजेंसियो को लीज पर हस्तान्तरित की गयी जिसका प्रकरण बिन्दु संख्या–2 के अनुसार उ0प्र0 शासन स्तर पर विचाराधीन है** । उक्त उल्लंघन के जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु संस्तुति की जाती है ।

सामान्य

मु0 व0 स0
02/3/21

4620
33
5-3-2021

भवदीय

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट